



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-27102023-249763
CG-DL-E-27102023-249763

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 623]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अक्टूबर 27, 2023/कार्तिक 5, 1945

No. 623]

NEW DELHI, FRIDAY, OCTOBER 27, 2023/KARTIKA 5, 1945

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 अक्टूबर, 2023

सा.का.नि. 801(अ).—केंद्रीय सरकार, कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 469 की उप-धारा (1) और (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2014 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

- (1) संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.- इन नियमों का संक्षिप्त नाम कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) दूसरा संशोधन नियम, 2023 है।
- (2) ये राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
2. कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2014 में, नियम 9 में, उप-नियम 3, के पश्चात्, निम्नलिखित उप-नियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-
 - “(4) प्रत्येक कंपनी एक ऐसे व्यक्ति को पदाभिहित करेगी जो कंपनी के शेयरों में फायदों के संबंध में रजिस्ट्रार या किसी अन्य अधिकृत अधिकारी को जानकारी प्रदान करने के लिए, और सहयोग प्रदान करने के लिए उत्तरदायी होगा।
 - (5) उपनियम (4) के प्रयोजन के लिए, कंपनी निम्नलिखित को पदाभिहित कर सकती है:-
 - (i) एक कंपनी सचिव, यदि अधिनियम और उसके अधीन बनाये गए नियमों के अधीन ऐसे कंपनी सचिव की नियुक्ति अपेक्षित है; या
 - (ii) कंपनी सचिव के सिवाय एक प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक; या
 - (iii) प्रत्येक निदेशक, यदि कोई कंपनी सचिव या प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक नहीं है।

(6) जब तक उप-नियम (4) के अधीन निर्दिष्ट किसी व्यक्ति को पदाभिहित नहीं किया जाता है, तब तक निम्नलिखित व्यक्तियों को पदाभिहित व्यक्ति समझा जाएगा;

(i) कंपनी सचिव, यदि अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन ऐसे कंपनी सचिव की नियुक्ति की अपेक्षित है; या

(ii) प्रत्येक प्रबंध निदेशक या प्रबंधक, यदि किसी कंपनी सचिव की नियुक्ति नहीं की गई है; या

(iii) प्रत्येक निदेशक, यदि कोई कंपनी सचिव या प्रबंध निदेशक या प्रबंधक नहीं है।

(7) प्रत्येक कंपनी वार्षिक विवरणी में पदाभिहित व्यक्ति के विवरण को सूचित करेगी।

(8) यदि कंपनी किसी भी समय पदाभिहित व्यक्ति को बदलती है, तो वह कंपनी (रजिस्ट्रीकरण कार्यालय और शुल्क) नियम, 2014 के अधीन निर्दिष्ट ई-प्ररूप जीएनएल -2 में रजिस्ट्रार को इसकी सूचना देगी।

[फा. सं. 01/34/2013 सीएल-V (भाग-III)]

इन्द्र दीप सिंह धारीवाल, संयुक्त सचिव

टिप्पण: मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उप-खंड (i) संख्या सा.का.नि. 260(अ) तारीख 31 मार्च, 2014 द्वारा प्रकाशित की गई थी और संख्या सा.का.नि. 44(अ) तारीख 21 जनवरी, 2023 के द्वारा अंतिम बार संशोधित की गई।

MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 27th October, 2023

G.S.R. 801(E).—In exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (2) of section 469 of the Companies Act, 2013 (18 of 2013), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, namely:-

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Companies (Management and Administration) Second Amendment Rules, 2023.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, in rule 9, after sub-rule (3), the following sub-rules shall be inserted, namely:-

“(4) Every company shall designate a person who shall be responsible for furnishing, and extending co-operation for providing, information to the Registrar or any other authorised officer with respect to beneficial interest in shares of the company.

(5) For the purpose of sub-rule(4), the company may designate-

(i) a company secretary, if there is a requirement of appointment of such company secretary under the Act and the rules made thereunder; or

(ii) a key managerial personnel, other than the company secretary; or

(iii) every director, if there is no company secretary or key managerial personnel.

(6) Until a person is designated as referred under sub-rule (4), the following persons shall be deemed to have been designated person;

(i) company secretary, if there is a requirement of appointment of such company secretary under the Act and the rules made thereunder; or

(ii) every Managing Director or Manager, in case a company secretary has not been appointed; or

(iii) every director, if there is no company secretary or a Managing Director or Manager.

(7) Every company shall inform the details of the designated person in Annual return.

(8) If the company changes the designated person at any time, it shall intimate the same to the Registrar in e-form GNL-2 specified under the Companies (Registration Offices and Fees) Rules, 2014.

[F. No. 01/34/2013 CL-V (Pt-III)]

INDER DEEP SINGH DHARIWAL, Jt. Secy.

Note: The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), vide number G.S.R. 260(E) dated 31st March, 2014 and last amended, vide number G.S.R. 44(E) dated 21st January, 2023.